

पूर्वोत्तर रेलवे
इज्जतनगर मंडल

काठगोदाम स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम
(बडी लाइन)

संख्या इज्जतनगर/55

जारी करने के तिथि: 23.12.2013

लागू करने की तिथि: 27.12.2013

पुनरीक्षण तिथि- Dec.-2018

बी श्रेणी, इकहरी लाइन अर्न्तपाशित, मानक 1 पैनल संचालित
(बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित टर्मिनल स्टेशन)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(सामान्य एवं सहायक नियम 8.01 (1),(क),(ग),2 (ख), 8.03 (क) (ख) (ग) (II) देखें)

- टिप्पणी :- 1-संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/55 दिनांक 26.2.2009 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा।
2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू सामान्य एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी पढा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में सामान्य एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख

सी० एस० टी० ई०/कान/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस० आई० पी० संख्या मु० सि० दू० ई/निर्माण/ 93/ (वाई डी)/47 संशोधन 'पी' पर आधारित इस स्टेशन का नियम आरेख सं० 532 दिनांक 31.1.2011 संशोधन 'सी' दिनांक 20.6.2013 जिसमे काटों सिगनलों तथा लाइनों की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित काटों तथा लाइनों की संख्या उल्लेख करना आवश्यक है।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1 सामान्य स्थिति :-

काठगोदाम स्टेशन रामपुर जं०-काठगोदाम मार्ग पर इकहरी बडी लाइन पर 'बी' श्रेणी का स्टेशन है तथा रामपुर जं० से 89.63 किमी० की दूरी पर स्थित टर्मिनल स्टेशन है।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०
इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
इज्जतनगर

2.2 दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और वाहरी साइडिंगे

टर्मिनल (पश्चिम दिशा में) -----
हल्द्वानी (पूर्व दिशा में) 06.44 किमी० की दूरी पर स्थित है।

आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :-

इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई० बी० एच०, आई० बी० एस० स्थित नहीं है।

2.3 ब्लाक खंड :-

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहां से "ब्लाक खंड" शुरू होता है।	वह स्थान जहाँ "ब्लाक खंड" समाप्त होता है।
काठगोदाम-हल्द्वानी	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० 1 काठगोदाम	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल हल्द्वानी तक

2.4 ढलान यदि कोई हो :-

(i) अप शंट सिगनल संख्या 32 से मेन लाइन में हल्द्वानी की ओर 70.66 में 1 का अधोगामी ढलान तथा स्टेशन यार्ड की ओर 300 में 1 का ऊर्ध्वगामी ढलान है।

2.5 अभिन्यास :-

अभिन्यास 11 लाइनों का है। लाइन संख्या 1 से 4 परिचालित लाइने तथा 5 से 11 अपरिचालित लाइनें हैं। हल्द्वानी छोर पर लाइन संख्या 1 से सैलून साइडिंग निकली है।

2.5.1(क) परिचालित लाइनें तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई :-

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०एल०)	टिप्पणी
लाइन सं० 1	437.15 मीटर	मेन लाइन प्लेटफार्म सहित
लाइन सं० 2	366.00 मीटर	लूप लाइन
लाइन सं० 3	339.90 मीटर	लूप लाइन प्लेटफार्म सहित
लाइन सं० 4	444.00 मीटर	लूप लाइन प्लेटफार्म सहित

(ख) परिचालित लाइन संख्या 1 यार्ड में आने वाली गाड़ियों के लिये सीधी लाइन है।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०
इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/55

काठगोदाम

2.5.2 अपरिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई :-

लाइन संख्या	विवरण	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर मे (सी० एस० एल०)	टिप्पणी
लाइन सं० 5	सैलून साइडिंग	50 मीटर	लाइन सं० 1 से निकली है
लाइन सं० 6	स्टेबुलिंग लाइन	115 मीटर	शॉटिंग नेक से जुड़ी है।
लाइन सं० 7	वाशिंग पिट लाइन	411.50 मीटर	लाइन सं० 6 से निकली है
लाइन सं० 8	स्टेबुलिंग लाइन	256.30 मीटर	लाइन सं० 7 से निकली है
लाइन सं० 9	सिक लाइन	115.00 मीटर	लाइन सं० 8 से निकली है
लाइन सं० 10	सिक लाइन	115.00 मीटर	लाइन सं० 10 से निकली है
लाइन सं० 11	शॉटिंग नेक	407.00 मीटर	-

2.5.3 अभिन्यास में कोई विशेष बातें :-

यार्ड में कैच साइडिंग, स्लिप साइडिंग, नान-स्टैण्डर्ड टर्न आउट तथा स्प्रिंग कॉटे आदि नहीं है।

2.6 समपार फाटक :-

- (i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति, एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है :-

गेट सं०	श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तर दायी कर्मचारी	अन्तर्पीशित है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
इंजीनियरिंग समपार फाटक							
56	ए	काठगोदाम-हल्दवानी के मध्य किमी० 87/3	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेटमैन	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन	नहीं

- (ii) समपार फाटकों के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशष्ट 'क' देखें।

- (iii) यहाँ परिचालन विभाग का कोई समपार फाटक नहीं है।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०
इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
इज्जतनगर

4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन की पद्धति4.1 विशेष संकेतन के लक्षणों सहित संकेतन के प्रकार :-

काठगोदाम स्टेशन पैनल अन्तर्पाशित मानक-I बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ लाइन संख्या 1, 2,3 एवं 4 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कॉटों तथा सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त सेन्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है।

प्रदत्त सिगनल :-(क)(i) अप आगमन सिगनल (हल्द्वानी से) :-

अप डिस्टेन्ट सिगनल अप होम सिगनल सं० 2 एवं गेट सं० 56/एकी स्थिति पर निर्भर है। जंक्शन इंडिकेटर सहित अप होम सिगनल संख्या 2 के संकेत निम्नलिखित है :-
अप होम सिगनल संख्या 2 मेन लाइन संख्या-1 के लिये जंक्शन इंडिकेटर रहित
अप होम सिगनल संख्या 2 लूप लाइन संख्या-2 के लिये जंक्शन इंडिकेटर सहित
अप होम सिगनल संख्या 2 लूप लाइन संख्या-3 के लिये जंक्शन इंडिकेटर सहित
अप होम सिगनल संख्या 2 डाक लूप लाइन संख्या-4 के लिये जंक्शन इंडिकेटर सहित

(ख) डाउन प्रस्थान सिगनल(i) हल्द्वानी की ओर प्रस्थान

डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या-3 लाइन संख्या-1 से
डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या-5 लाइन संख्या-2 से
डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या-7 लाइन संख्या-3 से
डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या-9 लाइन संख्या-4 से
डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल/डा० गेट डिस्टेन्ट सिगनल संख्या-1 “नील्स ब्लाक टोकन यन्त्र” की ट्रेन गोइंग टू’ स्थिति से नियंत्रित।

(ग) शंट सिगनल :

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
अप शंट सिगनल सं० 32	शंटिंग नेक लाइन सं० 11 से यार्ड में आने हेतु
डाउन शंट सिगनल सं० 21	लाइन सं० 1 से शंटिंग नेक में जाने हेतु
डाउन शंट सिगनल सं० 23	लाइन सं० 2 से शंटिंग नेक में जाने हेतु
डाउन शंट सिगनल सं० 25	लाइन सं० 3 से शंटिंग नेक में जाने हेतु
डाउन शंट सिगनल सं० 27	लाइन सं० 4 से शंटिंग नेक में जाने हेतु
डाउन शंट सिगनल सं० 31	लाइन सं० 4, 6, 7, 8,9 अथवा 10 से शंटिंग नेक में जाने हेतु

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०
इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
इज्जतनगर

(घ) स्टाप बोर्ड :-

इस स्टेशन पर अप छोर पर रनिंग लाइन संख्या 1, 2, 3 एवं 4 पर स्टाप बोर्ड प्रदत्त है।

पुनरावर्तक (रिपीटर) :-

प्लेटफार्म संख्या 1 पर तीव्र गोलाई होने के कारण गार्ड की सुविधा हेतु लाइन संख्या 1 पर डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 3 का स्टार्टर इंडिकेटर प्लेटफार्म संख्या 1 पर प्रदत्त है, जो स्टार्टर संख्या 3 के 'आन' स्थिति में कोई संकेत नहीं देता है परन्तु 'आफ' स्थिति में पीला संकेत देता है।

- 4.1(क) सभी कॉटे एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियंत्रक पैनल कहते हैं। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, कॉटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर पैनल पर दिया गया है। कॉटों एवं संकेतकों के प्रचालन हेतु ग्रुप बटन एवं सिगनल स्विच प्रदत्त हैं।
- (ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल हैं।
- (ग) होग सिगनल पर लूप लाइन के लिये एक पंक्ति में पॉच सफेद बत्ती वाले जं० संकेतक दिये गये हैं। जं० संकेतक सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पंक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ लूप मार्ग (डाइवर्जिंग रूट) इंगित करेगी।
- (घ) अग्रिम प्रस्थान सिगनल टोकेन ब्लाक यंत्र की 'ट्रेन गोइंग टू' दशा से नियंत्रित है।
- (ङ) स्टेशन मास्टर काटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर नियंत्रण चाबी जो पैनल मुक्तक पास (पैनल रिलीज लॉक) को पाशित करती है, द्वारा नियंत्रण रखता है। जब यह पाशित स्थिति में होता है तो यह विद्युतीय रूप से काटों एवं सिगनलों पर नियंत्रण नियोजित कर देता है। जब तक यह चाबी लगाकर घुमायी न जाये, कॉटों एवं संकेतकों का प्रचालन ग्रुप बटन एवं सिगनल स्विच के दबाये जाने या घुमाये जाने पर कोई परिणाम नहीं देगा।
- (च) स्टेशन मास्टर आफ किये गये सिगनल को आन करने के बाद रूट निरस्तीकरण के लिये सिगनल स्विच के साथ ग्रुप बटन को दबाने एवं घुमाने पर निर्धारित समयान्तराल के बाद रूट निरस्त हो जाता है और कॉटे संचालन हेतु मुक्त हो जाते हैं।
- (छ) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट 'ख' में उल्लेखित अनुदेशों को देखें।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०
इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
इज्जतनगर

4.1.1 स्टेशन मास्टर पैनल :

स्टेशन मास्टर के कमरे में स्टेशन मास्टर कंट्रोल पैनल का प्रावधान है जिससे पुश बटनों द्वारा मोटर कांटों एवं सिगनलों आदि का संचालन तथा गेटों का नियंत्रण किया जाता है। जिनकी स्थिति दर्शाने हेतु सूचक बत्ती का प्रावधान है पैनल से कांटों एवं सिगनलों आदि के संचालन हेतु एक साथ दो पुश बटन दबाना आवश्यक है पैनल पर प्रदत्त पुश बटनों, इंडीकेशन, चाभी आदि का विवरण निम्नवत है।

4.1.1.2 स्टेशन मास्टर की पैनल नियंत्रण चाभी :

स्टेशन मास्टर पैनल द्वारा कांटो एवं सिगनलो आदि का अनाधिकृत संचालन रोकने हेतु पैनल पर यह चाभी लगी रहती है जब तक चाभी पैनल से निकली रहेगी उस समय तक कांटों सिगनलों आदि के संचालन का विद्युतीय सम्बन्ध विच्छेदित रहेगा। चाभी लगाकर घुमा देने के पश्चात पैनल पर लगे पुश बटनो द्वारा कांटो, सिगनलों आदि का संचालन किया जा सकता है। स्टेशन मास्टर की पैनल नियंत्रण चाभी चाहे पैनल से बाहर निकली हो, या पैनल में लगी हो सभी ट्रैक सर्किट, कांटों सिगनलों के आस्पेक्ट आदि का इंडीकेशन अंतिम संचालित स्थिति में अनवरत् प्रकाशित रहेंगे।

4.1.1.3 ग्रुप बटन :

यार्ड के डाउन छोर के लिये एक ग्रुप बटन दिया गया है। सिगनल स्विचों को वॉछित स्थिति में घुमाने के बाद ग्रुप बटन को दबाया जायेगा। सिगनलों को प्रचालन तभी संभव हो पायेगा जब ग्रुप बटन दबाया जायेगा। यार्ड के डाउन छोर में गाडियों के संचालन के लिये सिगनलों के प्रचालन हेतु पैनल पर स्थित ग्रुप बटन को दबाना होगा। सैट किये हुये मार्ग के निरस्तीकरण हेतु सिगनल थम्ब स्विचों को नार्मल स्थिति में वापस कर देना चाहिये और संबंधित ग्रुप स्टार्ट बटन को दबाना चाहिये। निरस्तीकरण हो जाने पर कौटा थम्ब स्विच की लॉक लाइट एवं रूट पर जलती हुयी बत्तिया बुझ जायेंगी तत्पश्चात् मार्ग बदला जा सकता है।

4.1.1.4 सिगनल स्विच:

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिए अलग-अलग सिगनल स्विच का प्रावधान है जो सम्बन्धित सिगनल के निकट लगा हुआ है। सिगनल आफ करने हेतु जिस सिगनल को 'आफ' करना है उस सिगनल का स्विच एवं ग्रुप बटन घुमाने एवं दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा।

4.1.1.5 कांटा स्विच :

पैनल के निचले हिस्से में दोनों सिरों पर कांटों को संचालन के लिए प्रत्येक कांटे के लिए अलग अलग स्विच दिया गया है। यह दो स्थिति वाले स्विच है। कांटों को नार्मल स्थिति में प्रचालित करने के लिए संबंधित थम्ब स्विच को एन स्थिति में तथा विपरीत स्थिति में सेट करने के लिये स्विच को आर स्थिति में करके संबंधित ग्रुप बटन दबाने पर कौटा नार्मल या रिर्वर्स हो जायेगा। थम्ब स्विच की एन स्थिति के ऊपर प्रदत्त छोटा सफेद प्रकाश जलने पर यह निर्देशित करेगा कि कांटे नार्मल स्थिति में सेट एवं लॉकड है। थम्ब स्विच की आर स्थिति के ऊपर प्रदत्त छोटा हरा प्रकाश जलने पर यह निर्देशित करेगा कि कांटे रिर्वर्स स्थिति में सेट एवं लॉकड है। कौटा स्विच के केन्द्र में प्रदत्त एक लाल प्रकाश जलने पर यह निर्देशित करेगा कि कांटे विद्युतीय रूप से लाक हो गये है और प्रचालित नहीं किये जा सकते है। जब यह लाल प्रकाश जल रहा हो तब उससे सम्बन्धित कौटा स्विच को कांटे को प्रचालित करने हेतु नहीं घुमाना चाहिये।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग0 एवं दूर संचार इंजी0
इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा0
इज्जतनगर

4.1.1.6 क्रैंक हैण्डिल नियंत्रण थम्ब स्विच :

यह थम्ब स्विच दो स्थिति वाली है अर्थात सामान्य “लॉक” तथा विपरीत “मुक्त” स्थिति। इस थम्ब स्विच का प्रयोग हैण्डिलों पर विद्युत लॉक को मुक्त करने के लिये होती है। स्विच के लाकड स्थिति में एक छोटी “सफेद” प्रकाश प्रदत्त है जो हमेशा जलती रहती है। क्रैंक हैण्डिलों पर विद्युत लाक को मुक्त करने के लिये इस स्विच को मुक्त स्थिति में घुमाना चाहिये। यदि परिस्थितियाँ क्रैंक हैण्डिल को फ्री करने की अनुमति दे तो छोटी सफेद बत्ती बुझ जायेगी और स्विच की रिवर्स स्थिति में ऊपर एक छोटा लाल प्रकाश दिखायी देगा। क्रैंक हैण्डिल को विद्युतीय ढंग से लाक करने के लिये जब ये विद्युत लीवर लाक में क्रैंक हैण्डिल लगा दिया गया है तो नियंत्रण थम्ब स्विच को नार्मल (लाक) स्थिति की ओर घुमाये। छोटी सफेद बत्ती स्विच के ऊपर ये संकेत करने के लिये जल जायेगी कि क्रैंक हैण्डिल विद्युतीय ढंग से लाक हो गया है।

जब क्रैंक हैण्डिल लीवर लाक से बाहर होता है तो सभी सिगनल “आन” संकेत देते है और तब तक “आन” रहते है जब तक कि क्रैंक हैण्डिल विद्युत लीवर लाक में लगा दिया न जाये। हर बार जब क्रैंक हैण्डिल बाहर होगा तो वीडर काउन्टर से एक उच्चतम संख्या दर्ज होगी। इसकी रीडिंग क्रैंक हैण्डिल रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिये। (क्रैंक हैण्डिल द्वारा विद्युत कौटा मशीनों को चलाने के लिये अनुलग्नक -1 देखें।)

4.1.1.7 आपात कालीन क्रैंक हैण्डिल :- परिचालित लाइनों पर प्रदत्त कौटा संख्या 41A, 41B, 42, 43, 44A एवं 44B मोटर चालित कौटे है। स्टेशन मास्टर कार्यालय में उपलब्ध विद्युत लीवर लाक में लाकड शील्ड ग्लास केस में एक आपातकालीन क्रैंक हैण्डिल जेड-1 कौटा संख्या 41A, 41B, 42, 43, 44A एवं 44B के प्रचालन के लिये प्रदत्त किया गया है। इस क्रैंक हैण्डिल का प्रयोग कौटे को आपात स्थित में चलाने के लिये किया जाता है। इन कौटों को कार्यरत कौटेवाला द्वारा कार्यरत स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में बनाया जायेगा तथा क्लैम्प करके ताला लगाया जायेगा। (सहायक नियम 3.39(i) (ii) देखें) क्रैंक हैण्डिल के प्रचालन की विधि सिगनलिंग परिशिष्ट के पैरा 9 में दी गयी है। जब कभी क्रैंक हैण्डिल का प्रयोग किया जायेगा, उसकी प्रविष्टि नीचे दिये गये क्रैंक हैण्डिल रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप में की जायेगी :-

क्रम सं०	क्रैंक हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैंक हैण्डिल निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैंक हैण्डिल निकालने का उद्देश्य विफलता / परीक्षण	क्रैंक हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैंक हैण्डिल वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०
इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
इज्जतनगर

4.1.1.8 समपार फाटकों के लिये थम्ब स्विच :-

यहाँ ट्रैफिक विभाग का कोई समपार फाटक नहीं है।

4.1.1.9 साइडिंग कौंटों के लिये थम्ब स्विच एवं नियन्त्रण चाबियों :-

साइडिंग कन्ट्रोल चाबी 'एफ' तथा 'आर' इलेक्ट्रिक लीवर लाक कम ट्रेक सर्किट एसेम्बली पर लगे 'ई' प्रकार के ताले में लगी रहती है। चाबी निकालने से पहले साइडिंग कन्ट्रोल स्विच को रिवर्स स्थिति में लाना चाहिए तत्पश्चात चाबी 'एफ' निकाल कर स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त 4-वे एस०एम०लाक अप बाक्स के 'ई' प्रकार के ताले में लगाकर घुमाने से साइडिंग कन्ट्रोल चाबियाँ 'पी', 'क्यू' एवं 'टी' रिलीज़ हो जायेगी। इसी प्रकार आर चाबी को सैलून साइडिंग के कौंटों को सैट करने के लिये लीवर लाक एसेम्बली से निकाला जा सकता है। चाबी संचालन का विवरण परिशिष्ट 'ख' के पैरा 9 में दिया गया है।

4.1.1.10 जी०बी०एन० बटन : इस स्टेशन पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।**4.1.1.11 आपातकालीन मार्ग निरस्तीकरण :-**

जब सिगनल को 'आफ' कर दिया गया हो और यदि आपात काल में वॉछित मार्ग का रद्द करना है तो संबंधित सिगनल थम्ब स्विच को नार्मल स्थिति में घुमाया जायेगा और ग्रुप बटन को दबाने पर आपात निरस्तीकरण काउन्टर के पास एक छोटी सफेद बत्ती जब उठेगी। इस प्रकार का निरस्तीकरण होने पर वीडर काउन्टर हर बार एक उच्च संख्या को दर्ज करेगा। लगभग 120 सेकेंड बीतने के बाद छोटा प्रकाश बुझ जायेगा और पैनल पर दिखायी देने वाला संबंधित मार्ग भी दिखायी देना बन्द हो जायेगा तभी मार्ग को बदला जा सकता है। स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन से कार्यभार का आदान प्रदान करते समय वीडर काउन्टर की रीडिंग टी०एस०आर० में अवश्य दर्ज की जाये।

4.1.2 रेल पथ परिपथ :-

परिचालित लाइन संख्या 1, 2, 3 एवं 4 तक रेल पथ परिपथ युक्त है। स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर संबंधित लाइन के रेल पथ परिपथ भाग को अतिरिक्त मोटी रंगीन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब रेल पथ परिपथ भाग आक्यूपाइड/विफल होता है तब पैनल पर इस भाग पर सूक्ष्म लाल प्रकाश जलेगा। इन रेल पथ परिपथों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है रेल पथ परिपथ की विफलता की स्थिति में इसे आक्यूपाइड मानकर स्टेशन मास्टर द्वारा रेलपथ परिपथ रिक्त होने का सुनिश्चय भौतिक सत्यापन द्वारा करना अनिवार्य है।

4.1.3 थम्ब स्विच रोक प्लग :-

स्टेशन पैनल प्लग भण्डारण सील में थम्ब स्विच स्टाप प्लग दिये गये है। जब कभी, सिगनल और कौंटा थम्ब स्विचों के एक दिशा से दूसरी दिशा में प्रचालन को रोकना हो, इन प्लगों को पैनल पर दिये गये थम्ब स्विचों के पास प्रदत्त छेदों में दबाकर लगा देना चाहिये। ये प्लग लगा दिये जाने पर स्टेशन मास्टर के लिये अनुस्मारक का कार्य करेंगे कि थम्ब स्विच, प्लग द्वारा बाधित दिशा में नहीं घुमाना चाहिये।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०
इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
इज्जतनगर

4.1.4 स्थाई रूप से तालाबन्द कोंटे/प्रथककरण (आइसोलेशन) :-

कांटा सं०	विवरण	संकेतक लगे हैं या नहीं	सेटिंग की सामान्य स्थिति	चाभी द्वारा नियन्त्रित	मोटर/यांत्रिक चालित	ट्रैक सर्किटेड है या नहीं	आइसोलेशन के साधन	टिप्पणी
101	इकहरा एच० पी० के० लाक कोंटा	नहीं	लाइन संख्या 5 के विपरीत लाइन सं० 1 के लिये सैट एवं लाक	एस	यन्त्र चालित	है	लाइन संख्या 5 पर ट्रैप कोंटा	चबी 'एस' ट्रैप कोंटा सं० 101X पर लाक रहती है
101 X	दोहरा एच० पी० के० लाक ट्रैप कोंटा	है	लाइन सं० 5 पर पटरी से गिराने के लिये खुला	आर	यन्त्र चालित	है	उपरोक्त	चबी 'आर' स्टेशन मास्टर के लीवर लाक एसेम्बली में लाक है।
102	इकहरा एच० पी० के० लाक कोंटा	नहीं	लाइनसंख्या 4 के विपरीत लाइन सं० 6 के लिये सैट एवं लाक	एस-1	यन्त्र चालित	है	लाइन संख्या 4 पर ट्रैप के विपरी सैट	चबी 'एस-1' कोंटा संख्या 102A पर लाक रहती है
104	इकहरा एच० पी० के० लाक कोंटा	नहीं	लाइनसंख्या 2 के विपरीत सैट एवं लाक	एस-3	हस्त चालित	है	लाइन सं० 2 के विपरीत सैट	चबी 'एस-3' कोंटा संख्या 104A पर लाक रहती है
104 A	दोहरा एच० पी० के० लाक कोंटा	नहीं	लाइन सं० 1 के विपरीत सैट एवं लाक	क्यू	हस्त चालित	है	उपरोक्त	चबी 'क्यू' स्टेशन मास्टर के 4- वे लाक अप बाक्स में लाक है।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०
इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
इज्जतनगर

105	इकहरा एच० पी० के० लाक कॉटा	नहीं	लाइन संख्या 2 के विपरीत सैट एवं लाक	पी	हस्त चालित	नहीं	लाइन सं० 2 के विपरीत सैट	चबी 'पी' स्टेशन मास्टर के 4- वे लाक अप बाक्स में लाक है। रहती है
-----	--	------	--	----	---------------	------	-----------------------------------	--

टिप्पणी:-

चाबी पाशन की विफलता की अवधि में ये कॉटें स्थायी रूप से ताला बन्द कॉटें श्रेणी 'ए' माने जायेंगे। नियम 5.01 देखें।

4.2 रिले रूम की चाभियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हे लेने देने की कार्य पद्धति :-

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इंटर लाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एव एस० एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिये। इसे खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस० एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात् ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाभी उसे सौंपनी चाहिये।

4.3 विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)

विद्युत विफलता की स्थिति में ट्रैक सर्किटिंग एवं अन्य कॉटा तथा सिगनल संकेतों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में IPS की व्यवस्था है एवं इनकी बैट्ररी चार्ज करने के लिए स्टेशन पर एक जनरेटर सेट की व्यवस्था की गयी है।

यार्ड में प्रदत्त कॉटा इंडिकेटर/ट्रैप इंडिकेशन का विवरण:-

- (1) यार्ड में कोई भी कॉटा इंडिकेटर प्रदत्त नहीं है।
- (2) कॉटा संख्या पर 101 X ट्रैप इंडिकेटर प्रदत्त है

4.4 वीडर काउन्टर:-

स्टेशन मास्टर कार्यालय में स्टेशन पैनल पर दो वीडर काउन्टर प्रदत्त है। इनमें से एक आपात समय में मार्ग रद्द करने के लिये तथा दूसरा कामन वीडर काउन्टर क्रैन्क हैण्डल जेड-1 के लिये है। सम्बन्धित स्विच जिसके लिये प्रदत्त है, उसके संचालित होने पर एक संख्या ऊपर (हायर) प्रत्येक बार अंकित कर देता है। हर बार जब क्रैन्क हैण्डल का प्रयोग किया जाय तब वह संख्या जो वीडर काउन्टर द्वारा दर्ज की गयी है, को निर्धारित पंजिका में निर्धारित प्रारूप के सम्बन्धित कालम में प्रविष्टि कर लिया जाये। कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा चार्ज का आदान-प्रदान करते समय टी०एस०आर० में आपात कालीन मार्ग निरस्तीकरण वीडर काउन्टर की रीडिंग को रिकार्ड कर लिया जाये।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०
इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
इज्जतनगर

5. दूर संचार:-

- (i) इज्जतनगर नियंत्रण कार्यालय से सम्बद्ध नियंत्रण टेलीफोन
 - (ii) हल्दवानी स्टेशन के टोकन यंत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
 - (iii) इंजी० गेट सं० 56/ए (काठगोदाम - हल्दवानी के मध्य) के साथ मैग्नेटो टेलीफोन
 - (iv) बी० एस० एन० एल० फोन
 - (v) वी० एच० एफ० सैट
 - (vi) रेलवे आटो टेलीफोन
- (संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाडी संचालन कार्यप्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 11A देखें)

6. गाडी संचालन की प्रणाली

गाडियों का आगमन एवं प्रस्थान सामान्य एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.42, 8.03 (2), 8.10, 8.12, 8.13 एवं 4.17 में उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार गाडियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल 'आफ' किये जायेंगे।

6(क) गाडियों का आगमन

जिस गाडी का लाइन क्लीयर दिया जा चुका है, उस गाडी के आगमन के लिये डि्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को चाहिये कि:-

- (i) पैनल कन्ट्रोल चाबी पैनल रिलीज लाक में लगा कर घुमाये ताकि पैनल संचालन में आ जाये।
- (ii) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जिन ट्रैक सरकिटों पर आने वाली गाडी को गुजरना है, उन ट्रैक सरकिटों पर आक्यूपैन्सी दर्शाने वाली लाल बत्तियों तो नहीं जल रही है।
- (iii) जिस लाइन पर गाडी को रिसीव किया जाना है, उस लाइन को परिशिष्ट 'ख' में दिये गये कौटा एवं सिगनलों की संचालन तालिका के अनुसार सम्बन्धित कौटा स्विचों को वॉछित स्थिति में परिचालित करें।
- (iv) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जो कौटा थम्ब स्विच नार्मल स्थिति में है, उनके ऊपर सूक्ष्म सफेद बत्ती तथा जो स्विच रिवर्स स्थिति में है उनके ऊपर सूक्ष्म हरी बत्ती जल गयी है। यह सफेद तथा हरी बत्तियों कौटों के नार्मल एवं रिवर्स स्थिति में सेट होने का सूचक है।
- (v) स्टेशन पैनल पर देख लें कि संबंधित थम्ब स्विचों में मध्य लाल बत्ती जल गयी है जो संबंधित कौटों के लाक होने का सूचक है इसके बाद सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल स्विच को घुमायें तथा सम्बन्धित ग्रुप बटन दबाये। तब संबंधित सिगनलों का 'आफ' आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आ जायेगा जो गाडी के लिये आगमन सिगनलों को 'आफ' होने का सूचक है।
- (vi) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाडी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल 'आन' स्थिति में हो गये है।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०
इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
इज्जतनगर

- (vii) स्टेशन पैनल पर देख लें कि आने वाली गाडी जैसे ही ट्रैक सर्किटों पर आती है, टैक सर्किट की सफेद बल्लियाँ बुझ जाती है तथा लाल बल्लियाँ जल जाती है और जैसे-जैसे गाडी ट्रैक सर्किट को पार करती है, लाल बल्लियाँ बुझ जाती है और सफेद बल्लियाँ जल जाती है।
- (viii) यह सुनिश्चित करने के बाद कि आने वाली गाडी ने कॉटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों को साफ कर दिया है, कॉटे एवं सिगनल थम्ब स्विचों को नामर्ल स्थिति में करके पीछे के कॉटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सेट करें एवं लाइन खाली हो जाने पर कॉटों को नामर्ल स्थिति में करें। पैनल कन्ट्रोल चाबी पैनल से निकालकर व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखें।

6.1 गाडी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :-

गाडी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर एवं कौटावाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 प्रत्येक पारी में गाडी संचालन कर्मचारी

दिन की पाली

स्टेशन प्रबन्धक	-	01	पर्यवेक्षकीय
सहायक स्टेशन मास्टर	-	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कौटावाला	-	02	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
शंटिंग मास्टर/जमादार	-	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर	-	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

रात्रि पाली/सौंध्य पाली

स्टेशन मास्टर	-	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
सहायक स्टेशन मास्टर	-	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कौटावाला	-	03	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
शंटिंग मास्टर	-	02	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर	-	02	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.1 लाइनों के क्लियरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :-

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाडी के आगमन/प्रस्थान के लिये पैनल पर प्रदर्शित ट्रैक सर्किट इंडिकेशन को देखकर परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा इंडिकेशन बल्ब फ्यूज़ हो जाने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से लाइनों का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करेगा कि लाइन साफ एवं बाधा रहित है तथा कॉटों को सेट एवं क्लैम्प कर ताला बन्द किया जायेगा। (सामान्य नियम 3.38(ग), 3.40(3) देखें)

6.1.2 आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी प्रकार भी गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो अपना कार्यभार स्वतंत्र रूप से ग्रहण करने से पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 दिन या अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हो अपना कार्य भार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से देंगे।

(विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(19) देखें)

6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें :-

कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि:-

- (क) सम्पूर्ण आन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) जिस लाइन पर गाड़ी ली जानी है, वह लाइन टर्मिनल छोर के स्टाप बोर्ड तक ही नहीं बल्कि उसके आगे अनुमुख कॉटों तक साफ न हो।
- (घ) स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम छोर के एडवॉस स्टार्टर तक साफ न हो।
- (घ) अप गाड़ी के लिये गेट संख्या 56/ए, पर कार्यरत गेट मैन को गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(सामान्य सहायक नियम 8.03 (2) (क) (ख) (ग) (ii) तथा सहायक नियम 8.03 (I) से (IV) देखें)

6.2.1 गाड़ी के स्टेशन पर आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-**6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध कार्टों को अन्य लाइन के लिये सेट करना-**

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रसिंग/प्रीसीडेन्स के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छारों के कॉटे अवरुद्ध लाइन के विपरीत सेट किये जाये।

(सामान्य एवं सहायक नियम 5.19(1) (a)(ii)(iv)(b)(ii)(2)(5)(i)(ii)(iii)(f) को देखें)

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन -

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो तो सामान्य नियम 5.09(1)(a)(b)(c), (2)(c),(3) (a) (b) तथा सहायक नियम 5.09(1)(a)(b)(c) के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करे।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग0 एवं दूर संचार इंजी0
इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा0
इज्जतनगर

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाडी का आगमन -

कोई भी नान रनिंग लाइन मेन लाइन से जुड़ी न होने के कारण किसी पर भी आगमन नहीं हो सकता है।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाडी का प्रस्थान -

कोई भी नान रनिंग लाइन मेन लाइन से जुड़ी न होने के कारण किसी से भी प्रस्थान नहीं हो सकता है।

6.2.1.5 कामन प्रस्थान सिगनल वाली लाइन से गाडी प्रस्थान करना -

इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का संदर्भ देते हुये अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना -

कोई नहीं।

6.3 आगमन सिगनल को आफ करने की शर्तें :-

- (क) **अप गाडी** के लिये अप होम सिगनल तभी आफ किया जायेगा जबकि,
- जिस लाइन पर गाडी ली जानी है, वह लाइन टर्मिनल छोर के स्टाप बोर्ड तक ही नहीं बल्कि उसके आगे अनुमुख कॉर्टों तक साफ एवं बाधा रहित हो ।
 - जिस लाइन पर गाडी ली जानी है, उसके सभी ट्रेलिंग तथा फेसिंग कॉटे सैट एवं लाक कर दिये गये हों तथा स्टेशन पैनल पर उसका इंडिकेशन प्रदर्शित हो गया हो।

साधारण एवं सहायक नियम 3.40(1)(ख)(2)(ख) देखें

6.3.1 'आफ' किये गये सिगनलों को पुनः आन करने के लिये स्टेशन मास्टर का दायित्व

किसी गाडी के संपूर्ण आगमन के बाद सभी संबंधित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाये। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

6.4 गाड़ियों का एक साथ आगमन/प्रस्थान, गाड़ियों की क्रासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना:-

टर्मिनल स्टेशन होने के कारण यहाँ गाड़ियों के एक साथ प्रवेश की अनुमति नहीं है ।

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :- सभी गाड़ियों के सम्बन्ध में गाड़ियों के आ जाने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर पूर्ण आगमन पुस्तिका के निर्धारित प्रपत्र टी-1410 पर पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। जब तक वह उक्त पुस्तिका गार्ड के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र के साथ वापस नहीं प्राप्त कर लेता है, वह लाइन बन्द नहीं करेगा। गाड़ियों के पूर्ण आगमन के पश्चात कौटो एवं सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में वापस कर दिया जायेगा। (सामान्य एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :

जब गाड़ियों का प्रस्थान अभिप्रेत हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (i) संलग्न अगले ब्लाक स्टेशन हल्दवानी से विद्युत ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।
- (ii) जाँचें कि आक्यूपाइड भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित रेल पथ परिपथों के लिये ट्रैक सर्किट आक्यूपैन्सी बलितियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- (iii) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (iv) सुनिश्चित करें कि डाउन गाड़ी प्रस्थान के लिये गेट संख्या 56/ए पर कार्यरत गेटमैन को, सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये गेट अनुदेश के अनुसार सूचित कर दिया गया है ।
- (v) स्टेशन पैनल पर देख लें कि कौटा थम्ब स्विच के निकट सफेद लघु बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इसके बाद सिगनल स्विच को वॉछित स्थिति में घुमाएं तथा ग्रुप बटन को दबायें। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का 'आफ' आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनलों के आफ होने का सूचक है। इसके पश्चात् डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो स्पष्ट घंटियां बजा कर गाड़ी चलाने की अनुमति गार्ड को दी जायेगी।
- (vi) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पहुंचती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बलितियां बुझकर लाल बलितियां जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल "आन" हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बलितियां बुझ जाती हैं और सफेद बलितियां फिर से जल जाती हैं।
- (vii) गाड़ी का पूर्ण रूप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाबी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
- (VIII) रेल पथ परिपथ की विफलता अथवा रेल पथ परिपथ बल्बों के फ्यूज होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग0 एवं दूर संचार इंजी0
इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा0
इज्जतनगर

6.6.1 सतर्कता आदेश (T-409) जारी करना :-

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पडने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, गार्ड तथा चालक को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा।

(सामान्य एवं सहायक नियम 4.09 देखे।)

6.7 गाड़ियों का बिना रूके सीधे जाना (रन थ्रू):- यह टर्मिनल स्टेशन है।**6.8 कॉटों एवं सिगनलों की विफलता के दौरान कार्य पद्धति :-**

कॉटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1) (3), 3.68(1)(x) सहायक नियम 3.39 (i)(ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख कॉटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राईवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टेशन के सभी सिगनल कलर लाइट होने के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सा० एवं सहा० नियम 3.49(2)(B) के अनुपालन में उन्हे दिन एवं रात्रि में अनवरत जलाया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर सा० एवं सहा० नियम 3.68 से 3.71 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 ट्रालियों/मोटर ट्रालियों/सामग्री लारियों की कार्यप्रणाली :-

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पद्धति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली को अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलों को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछ आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलों को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है। (सा० एवं सहा० नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।)

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०
इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
इज्जतनगर

7. लाइन अवरुद्ध होना :-

- साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुद्ध की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-
1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुद्ध हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।
 2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा।
 3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
 4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरुद्ध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।
- 7.1 **स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्योरिंग:-**जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/ वाहनो से अवरुद्ध की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनों के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन बॉधी जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।
- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग0 एवं दूर संचार इंजी0
इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा0
इज्जतनगर

- (ii) नये प्रकार के बोगी रैकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनों पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। वाहन/वाहनो/लोड का सिक्वोरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्वोरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय, तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।

टिप्पणी :

- 1 बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-

- (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
 (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
 (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
 (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये।

साधारण एवं सहायक 5.23 मे निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. शंटिंग:- इस स्टेशन पर डाउन स्टार्टर सिगनलों के नीचे शंट सिगनल शंटिंग उद्देश्य के लिये दिये गये है।

8.1 (क) ब्लाक खण्ड साफ होने पर शंटिंग:

शंटिंग की अनुमति नहीं है

(ख) प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शंटिंग:-

शंटिंग की अनुमति नहीं है

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०
इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
इज्जतनगर

8.2 आती हुयी गाडी की दिशा में शंटिंग

शंटिंग की अनुमति नहीं है।

8.3 जाती हुयी गाडी के पीछे शंटिंग

शंटिंग की अनुमति नहीं है।

8.4.1 शंटिंग पर प्रतिबन्ध

1. आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल आफ किये जाने के बाद नान आइसोलेटेड लाइनो पर शंटिंग की अनुमति नहीं है।
सामान्य नियम 8.10(2) देखें।
2. उतार-चढ़ाव पर शंटिंग करते समय निम्न सावधानियाँ बरती जाये :-
 - (क) पर्याप्त संख्या में ब्रेक लगा दिये गये हों एवं जहाँ आवश्यक हो, वहाँ गुट्टी रोक (स्प्रेग) लगा दिये जाये। वाहनों को अनियन्त्रित होने से रोकने के लिये पूर्ण सावधानी बरती जाये।
 - (ख) ढलान के नीचे की ओर भी एक इंजन लगा दिया गया हो। निचले ढलान की ओर हैण्ड शंटिंग नहीं की जायेगी।

8.4.2 शंटिंग का कोई विशेष पहलू -

- 1- शंटिंग के प्रत्येक मामले में इंजन शंटिंग नेक की तरफ रहेगा किन्तु सैलून साइडिंग में शंटिंग करते समय इंजन को पुशिंग स्थिति में रखकर ही शंटिंग कार्य किया जायेगा। शंट किये जाने वाले वाहनों को पूर्ण वैक्यूम एयर प्रेशर युक्त होना आवश्यक है।
- 2- शंटिंग संचालन जब कभी बिना शंट सिगनल आफ किये अथवा सिगनल विफलता के दौरान किया जाये तो मोटर कांटो को पैनल से संचालित करके सन्मुख तथा अनमुख दोनो ही स्थिति में क्लैम्प पैड लाक अवश्य किया जाये।

8.5 स्टेशन यार्ड/माल यार्ड से निकलने वाली साइडिंग में शंटिंग -

स्टेशन मास्टर कार्यालय में साइडिंग नियन्त्रण चाबियों 'एफ' तथा 'आर' प्रदान की गयी है। यह चाबियों सामान्यतया डबल वायर इलेक्ट्रिक लीवर लाक कम सर्किट कन्ट्रोल एसेम्बली पर लगे 'ई' प्रकार के ताले में लगी रहती है। चाबी निकालने के लिये साइडिंग कन्ट्रोल स्विच को रिवर्स (आर) स्थिति में लाना चाहिए। चाबी 'एफ' निकालने के पश्चात उसे 4-वे लाक अप बाक्स में लगे 'ई' प्रकार के ताले में लगाकर घुमाएं जिससे साइडिंग कन्ट्रोल चाबियों 'पी', 'क्यू', एवं 'टी' रिलीज़ हो जायेगी। परिशिष्ट 'ख' के पैरा 9 दिये गये चार्ट के अनुसार चाबियों को संचालित करके साइडिंग कांटों को सैट किया जायेगा।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग0 एवं दूर संचार इंजी0
इज्जतनगर

(जे0ए0आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा0
इज्जतनगर

8.6 बहिर्वर्ती (आउट लेइंग) साइडिंग की कार्य विधि :- काई नहीं।

9. असामान्य परिस्थितियों

(क) असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया:

(I) ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा बी०एस०एन०एल फोन अथवा बी०एच०एफ० सैट द्वारा ही दिया जाना चाहिये।

(II) (सामा० एवं सहा० नियम 14.13 से 14.25 तथा सा० एवं सहा० नियम पुस्तक का परिशिष्ट 'घ' देखे) ब्लाक यन्त्र टेलीफोन अथवा बी०एस०एन०एल० फोन अथवा बी०एच०एफ० सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की संभावना रहती है।

2(क) नियंत्रक कि माध्यम से अथवा बी०एस०एन०एल० फोन अथवा बी०एच०एफ० सैट से लाइन क्लीयर मागने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है अपने स्टेशन जहां से लाइन क्लीयर मांगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मागने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा।

2.(ख) बी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-

(i) बी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगें।

(ii) लाइन क्लीयर तभी लिया धिया जाय जब बी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।

(iii) जब बी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्तेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।

(iv) बी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीयर लियाधिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लीयर लिया / दिया जाय।

2(ग) लाइन या किसी गाडी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में यह किसी आपात स्थिति में स्टेशनों के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा।

(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखे)

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०
इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
इज्जतनगर

3. जब कभी किसी मोटर आपरेटेड कॉटे पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचालन हुआ हो, तो उक्त कॉटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त कॉटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओं के संबंध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन कॉटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परिक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी में अंकित किया जाना चाहिये।

(ख) क्रैन्क हैण्डल द्वारा कॉटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्यविधि:-

- संचालन नियम के पैरा 4.1.7 तथा परिशिष्ट 'ख' के अनुलग्नक I के अनुसार कार्य किया जायेगा।
(ग) कॉटों, ट्रेक सर्किट/एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना:-

संकेतन परिशिष्ट 'ख' का पैरा 11 को देखे।

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता

1. संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है :-

सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे :-

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रेक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
(ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,
(ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन यदि उपलब्ध है।
(घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे आटो फोन एवं बी०एस०एन०एल० फोन।
(ङ.) नियंत्रण दूरभाष,
(च) वी०एच०एफ० सेट।

2. इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाडी संचालन :

किसी ब्लाक खण्ड में गाडी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।
(ख) गाडी के इंजन द्वारा।
(ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।
(घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाडी नहीं भेजनी चाहिये।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०
इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
इज्जतनगर

3. संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी-

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/बी 602 इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार सौपा जायेगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा :-	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को टेक आफ करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को टेक आफ करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369,(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुये अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई 602 प्राप्त करेगा।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाडी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम संशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाडी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाडी मे लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो।	
2.	यदि प्रेषक स्टेशन की ओर से गाडियों का फ्लो अधिक हो तो प्रतीक्षारत गाडी के पीछे जाने वाली गाडियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी/ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा।	2- इंजन या स्वानोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार सशर्त लाइन क्लीयर टिकट टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाडी गाडियों के लिये सशर्त लाइन क्लीयर संदेश प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाडियों के लिये लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अन्तिम रोक सिगनल को पार करने के लिये टी 369(3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौपे जायेगे।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग0 एवं दूर संचार इंजी0
इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा0
इज्जतनगर

टिप्पणी:-

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक सबसे बाहर के सम्मुख कॉटे के आगे लाइन को अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
- (ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियों चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार सशर्त लाइन क्लीयर टिकट प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाडी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाडी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कडी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किमी० प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किमी० प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढेगा।

4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियों:-

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकर टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।
- (ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाये कि सामान्य काम-काज शुरू होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाडी खण्ड पर न हो। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हो परन्तु उनके आधार पर गाडिया संचालित न हुयी हो को रद्द कर दिया जाना चाहिये।

9.2 दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन कार्य पद्धति - कुछ नहीं।**9.3 बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटना ग्रस्त गाडी के सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान।**

अवरोध की राही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत इंजन/गाडी ले जाने के लिये प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौपेगा। (विशेष रूप से सहायक नियम 6.02, 6.08(i)(ii)(iii), 6.09 (ii)(iii) (1)(2)(3) देखे)

9.4 विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश :-

व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति विफल होने पर निम्न प्रक्रिया अपनायी जाय :-

1. मुख्य पावर विफल होने पर सिगनल को जलाने हेतु दिये गये अनुदेश
2. व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति विफल होने पर सिगनलों को प्रकाशित करने हेतु एक डी०जी०सैट का प्रावधान किया गया है। जनरेटर चलाने के निर्देशों के लिये परिशिष्ट 'ख' के अनुलग्नक -II का अनुपालन किया जाय। सिगनल प्रकाशित होने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को पैनल पर सिगनलों के आन संकेत मिलने लगेंगे।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०
इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/55

काठगोदाम

3. यदि व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति अधिक समय के लिये चली गयी है तो एक जनरेटर को चार घंटे से अधिक नहीं चलाया जायेगा।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन पर एक पंजिका रखेगा। जिसमें नित्य जनरेटर संचालन के समय का व्यास लिखा जायेगा तथा चलाने वाले कर्मचारी का उस पर हस्ताक्षर भी होगा। इसका प्रेफार्मा निम्न प्रकार होगा :-

1. व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनरेटर प्रचालन :

क्रम संख्या	दिनांक	गाड़ी संख्या	व्यवसायिक विद्युत विफलता			जनरेटर रनिंग					टिप्पणी	
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग	जनरेटर विफलता तिथि / समय		

2. डीजल का उपयोग :

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी

नोट :- इस सम्बन्ध में समय - समय पर प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों का अनुपालन भी किया जाय।

5. कार्यरत स्टेशन मास्टर बैटरी चार्जिंग के लिये जब भी आवश्यकता हो संकेत अनुरक्षक के सुक्षाव के अनुसार जनरेटर संचालित करवायेगा।
6. जनरेटर में किसी प्रकार की विफलता के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर परिशिष्ट “ख” अनुच्छेद II में दिये गये अधिकारी को सूचित करेगा।
7. कार्यरत स्टेशन मास्टर किसी गाड़ी के आगमन के लिये लाइन क्लीयर देने या आगमन की अनुमति प्रदान करने के पहले सुनिश्चित कर लेगा कि कार्मशियल पावर सप्लाई/सटैण्डबाई डी०जी०सेट सप्लाई उपलब्ध है तथा सिगनल की रोशनी प्रकाशित है जैसा कि पैनल पर दिये गये संकेत से मालूम होता है।
8. यदि अनियमितता के कारणवश स्टैण्डबाई डी.जी.पावर सप्लाई भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो उस परिस्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर लाइन क्लीयर/गाड़ी आगमन की अनुमति प्रदान करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेगा कि साधारण एवं सहायक नियम 3.49 (4), 3.68 से 3.71 के अनुसार गाड़ी लेने की व्यवस्था कर ली गयी है।

10. द्रश्यता परीक्षण लक्ष्य

(क) **अप छोर :** टर्मिनल

(ख) **डाउन छोर :-** दिन एवं रात में लाइन संख्या 1 के डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 3 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखाई देता हो।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग0 एवं दूर संचार इंजी0
इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा0
इज्जतनगर

11. इस स्टेशन के आवश्यक उपकरण :- परिशिष्ट ड. देखें।

12. कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनल मैनों के नाम

कोहरे के समय फाग सिगनल मैन के रूप में कार्यकरने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुये, स्टेशन पर अनुरक्षित फाग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

१३. परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट "क" समपार फाटको का संचालन
परिशिष्ट "ख" संकेतन एवं अन्तर्पाशन की पद्धति
परिशिष्ट "ग" टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच) -
परिशिष्ट "घ" गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य
परिशिष्ट "ङ" स्टेशन के आवश्यक उपस्कर
परिशिष्ट "च" डी०के०स्टेशन, हॉल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम -
परिशिष्ट "छ" विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

-

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०
इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक / सा०
इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ लागू नहीं ”

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक / सा०
इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"**1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य**

- (क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है
1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
 2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
 3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
 4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
 5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय और केबिनो तथा नियम पुस्तको, डायरियों, गाड़ी रजिस्ट्रों एवं अन्य रजिस्ट्रो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
 6. यार्ड और यार्ड उपकरणो का आवधिक निरीक्षण।
 7. मार्शलिंग यार्ड, रिपैकिंग शेड, गुड्स शेड, पार्सल कार्यालय और बुकिंग कार्यालय का आवधिक निरीक्षण।
 8. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
 9. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
 10. (क)यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।
- (ख) जब स्टेशन मास्टर को गाड़ी परिचालन कार्य भी करना है, तो वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।
- (ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ कोचिंग/गुड्स यार्ड और कोचिंग स्टाफ का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेंगे।
- (घ) शंटिंग प्रचालनों का पर्यवेक्षण करेंगे।

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

(जे0ए0आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा0

इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"

1. यार्ड, कौंटों, सिगनलों, कौंटा संकेतकों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मर्दों का उल्लेख कर दिया गया है।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारों का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
4. साधारण एवं सहायक नियम तथा स्टेशन कार्य प्रणाली के अनुसार सभी गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान सुनिश्चित करना।
5. सभी सिगनल प्रचालनों का नियन्त्रण।
6. शन्टिंग प्रचालनों का पर्यवेक्षण।
7. जाने वाली गाड़ियों के चालको को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
8. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
9. गोपनीय संख्या पुस्तिका तथा ग्लाज़ड केस की चाबी को व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
10. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।

3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधों से मुक्त एवं साफ है।
3. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण धस्टेशन अधीक्षक के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।

(जे०ए०आजमी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक / सा०

इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"

5. कौंटों की विफलता की स्थिति में फेसिंग तथा ट्रेलिंग दोनों स्थितियों में क्लैम्प, पैडलाक करना और आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार फाग सिगनल लगाना
7. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।
8. उसके प्रभार में कौंटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।
9. शंटिंग मास्टर के निर्देशानुसार वाहनों को जोड़ना एवं काटना
10. **कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-**
 - i) सिगनल, कौंटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।
 - ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।
11. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
12. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

टिप्पणी :-जो कौंटें, कौंटेवाले द्वारा प्रचालित होते हैं, वह उनका पूर्ण प्रभारी होगा। वह कौंटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करेगा। यदि उसको, कौंटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कौंटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

4. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत शंटिंग जमादार/मास्टर के कर्तव्य

- (i) सामान्य पर्यवेक्षण
- (ii) सभी वाहनों/वैगनों को जोड़ना तथा काटना और ठीक ढंग से मार्शलिंग करना
- (iii) यह सुनिश्चित करना कि शंटिंग समाप्त होने के बाद वाहनों/वैगनों की कपलिंग ठीक ढंग से जोड़ दी गयी है
- (iv) गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही हो और कौंटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना
- (v) शंटिंग के दौरान हैण्ड सिगनल दिखाना

5. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत पोर्टर के कर्तव्य

कार्यरत स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार अकेले अथवा उसके पर्यवेक्षण में गाड़ी परिचालन से सम्बन्धित सभी कार्यों को सम्पादित करना।

(जे0ए0आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा0
इज्जतनगर

परिशिष्ट 'इ'

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

1. हाथ सिगनल बत्ती - 05 बैट्री आपरेटेड
2. हाथ सिगनल झण्डी - 10 हरी तथा 20 लाल
3. पटाखा सिगनल - 50
4. सुरक्षा जंजीरे - 10 तालो सहित
5. क्लैम्प - 10 तालो सहित
6. प्राथमिक चिकित्सा बाक्स - 01
7. फायर बकेट - 06
8. अग्निशामक यन्त्र डी०सी०पी०टाइप - 02
9. लकड़ी के गुटके - 20

(जे०ए०आजमी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
इज्जतनगर

परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

“ लागू नहीं ”

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
इज्जतनगर

संचालन नियम सं० इज्जत/55

काठगोदाम

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

“ लागू नहीं ”

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक / सा०
इज्जतनगर